भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1711

उत्तर देने की तारीख : 15.12.2025

पुडुचेरी में एमएसएमई का पुनरुद्धार

1711. श्री एस. सेल्वागनबेथी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य-क्षेत्र पुडुचेरी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुद्धार के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) एमएसएमई क्षेत्र के नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

i. 5 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी के लिए कवर प्रदान करने के प्रावधान के साथ एमएसएमई सहित, व्यवसायों के लिए आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) शुरू की गई। यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक चालू थी।

ii. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 10 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करने हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से एमएसई को 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी।

iii. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना लघु एवं मध्यम उद्यमों में इक्विटी निधि के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए की गई है, जिसमें भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

iv. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) विनिर्माण के लिए 50 लाख रुपए और सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

v. पीएम विश्वकर्मा योजना दिनांक 17.09.2023 को कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो 18 पारंपरिक व्यापारों में अपने हाथों और औजारों के साथ काम करते हैं। इस योजना में अधिकतम 8% तक के ब्याज छूट के साथ 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान शामिल है।

संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के लिए एमएसई के लिए ईसीएलजीएस, पीएमईजीपी और सीजीएस के तहत एमएसएमई को वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) : भारत सरकार ने रोजगार के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। उनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

i. खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से, एमएसएमई मंत्रालय गैर-कृषि क्षेत्र में नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके घरों तक रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

ii. स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की गई थी। पीएमएमवाई के तहत, सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को अपने व्यावसायिक कार्यकलापों को स्थापित या विस्तारित करने में सक्षम बनाने के लिए 20 लाख रुपए तक के संपार्श्विक (कोलेटरल) मुक्त ऋण दिए जाते हैं।

iii. (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए दिनांक 26.06.2020 को दोहरे मानदंड-आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम परिभाषा को अपनाया गया है।

(ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पोर्टल का शुभारंभ किया गया। दिनांक 11.12.2025 तक, उद्यम पोर्टल पर कुल 7.28 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 31.92 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है।

(ग) : उद्यम शक्ति पोर्टल को दिनांक 29 जून, 2022 को अन्य मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के पोर्टलों के साथ एकीकृत करने के प्रयोजनार्थ शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अभिसरण और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था।

i. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) की शुरुआत दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार सृजन और रोजगार खोने पर बहाली के लिए रोजगार प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु की गई है।

ii. सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 1 जून, 2020 से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) लागू कर रही है, ताकि वे अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें।

iii. पीएम गति शक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जिनमें सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना शामिल हैं। स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास, इस दृष्टिकोण को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमिता के व्यापक अवसर सृजित होते हैं।

iv. रोजगार सृजन के उद्देश्य से भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है।

अनुबंध - I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1711, जिसका उत्तर दिनांक 15.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का योजना-वार विवरण निम्नलिखित है:

पीएमईजीपी-पुडुचेरी		
वित्त वर्ष	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**संवितरित मार्जिन मनी(एमएम) सब्सिडी (लाख रुपए में)**
2022-23	25	65.56
2023-24	30	97.44
2024-25	38	111.19

सीजीएस-अनुमोदित गारंटियां-पुडुचेरी		
वित्त वर्ष	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित गारंटियों की राशि करोड़ रुपए में**
2022-23	1,087	107.18
2023-24	2,418	232.69
2024-25	4,471	331.65

आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस)-पुडुचेरी		
वित्त वर्ष	**एमएसएमई को जारी गारंटियों की संख्या**	**गारंटी दी गई राशि (करोड़ रुपए में)**
2022-23	480	33.04
2023-24	यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक ही चालू थी।	
2024-25		